उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या- 10/2020/752/तीस-4-2020/01(सा0)/2017
लखनऊःदिनांक 30 जुलाई ,2020

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 200 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-14/2019/931/तीस-4-2019/01(सा0)/2017, दिनांक 07 जून, 2019 का अधिक्रमण करके, राज्यपाल निदेश देती हैं कि नीचे अनुसूची के स्तम्भ 1 में उल्लिखित अधिकारी, अनुसूची के स्तम्भ 4 तथा 5 में प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित धनराशि के निमित्त स्तम्भ-3 में उल्लिखित अपराध और स्तम्भ-2 में उल्लिखित धाराओं के अधीन अपराध का शमन कर सकते हैं:-

अनुसूची

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	**मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है**	**अपराधों का विवरण**	**शमन शुल्क की धनराशि**	
			प्रथम अपराध की दशा में	**द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
(1) परिवहन विभाग के पदधारी यात्रीकर अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन। **(2) पुलिस विभाग के पदधारी** **(एक) नागरिक पुलिस /यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी** **(दो) यातायात पुलिस निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी** **(तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के अन्तर्गत निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक** **(चार) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट**	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 122, 126 के साथ पठित धारा 177	**<u>यातायात सम्बन्धी अपराध</u>** 1- पार्किंग नियमों का उल्लघंन	रु0-500/-	रु0-1500/-
	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 130 के साथ पठित धारा 177 केन्द्रीय मोटर यान नियमावली का नियम 15(7)	2- मांग किये जाने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, परमिट, स्वस्थता प्रमाण-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (puc) प्रस्तुत करने में विफल होने पर। **टिप्पणीः- डिजीलॉकर में इलेक्ट्रानिक प्रारुप में दस्तावेज स्वीकार किये जायेंगे।**		
	मोटरयान अधिनियम की धारा 177 के साथ पठित धारा 47	3 - 12 माह से अधिक अवधि तक अन्य राज्यों के रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का उपयोग करने पर।		
	धारा 184क, ख, घ, ड.च में उल्लिखित अपराधों को छोड़कर मोटरयान अधिनियम की धारा 119 के साथ पठित धारा 177	4- धारा 184क, ख, घ, ड., च में उल्लिखित अपराधों को छोड़कर ड्राइवर द्वारा बिना किसी संकेत के गली बदलते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन किया जाना।		
	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 6(2) के साथ पठित धारा 177	5- अन्य व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस देने पर		
	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 123 के साथ पठित धारा 177	**<u>यात्रियों से सम्बन्धित अपराध</u>** 6- फुट बोर्ड पर यात्रियों के खडे होने पर		
	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 72 (तेरह)	**<u>वाणिज्यिक यानों से सम्बन्धित अपराध</u>**		

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	**2**	**3**	**4**	**5**
	के साथ पठित धारा 177 उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली के नियम 28 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 177 उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली के नियम 166क के साथ पठित धारा 177	7- अनुज्ञेय किराये से अधिक किराया लेने पर 8- परिवहन यानों में आवश्यक अपेक्षित सूचना प्रदर्शित न करने पर 9- मोटर कैब में किराया मीटर कार्यशील न होने पर। 10- मोटर यान अधिनियम या तद्धीन जारी नियमावली, विनियमावली या अधिसूचनाओं के किसी उपबन्ध का उल्लघंन करने वाले अन्य अपराध जो ऊपर उल्लिखित नहीं है तथा जिनके लिये विनिर्दिष्ट जुर्माना विहित नहीं किया गया है।		
(एक) परिवहन विभाग के अधिकारी यात्रीकर अधिकारी/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/ संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन (दो) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट	178(1)	**मंजिली गाड़ियों में यात्रियों से सम्बन्धित अपराध** 1- बिना वैध टिकट या पास के यात्रा करना। 2- मांगने पर पास या टिकट प्रस्तुत न करना।	रु0-500/-	-
-तदैव-	178(2)	**मंजिली गाड़ियों में परिचालकों से सम्बन्धित अपराध** 1- किराया न लेना या किराया लेने से इंकार करना। 2- टिकट जारी न करना या टिकट जारी करने से इंकार करना। 3- अवैध टिकट देना। 4- कम किराया का टिकट प्रदान करना। 5- टिकट या पास की जांच न करना।	रु0-500/-	-
-तदैव-		यदि ठेका गाड़ी का परमिट धारक या चालक इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली		-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
	    178(3)(क) 178(3)(ख)	के उपबन्धों का उल्लंघन करके ठेका गाड़ी संचालित करने या यात्रियों को ले जाने से मना करता है:- (क) दो पहिया या तीन पहिया मोटरयानों की दशा में। (ख) यान के किसी अन्य मामले में।	 रु0-50/- रु0-500/-	 -
(1) परिवहन विभाग के अधिकारी **यात्रीकर अधिकारी/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/ संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन।** **(2) पुलिस विभाग के अधिकारी** **(एक) नागरिक पुलिस /यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी** **(दो) यातायात पुलिस निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी** **(तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के भीतर निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक** **(चार) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट**	179(1)	प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी विधि सम्मत निदेश का उल्लंघन करना या ऐसी किसी कृत्य का निर्वहन करने में व्यवधान डालना, जिसका निर्वहन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारीगण अपेक्षित हों या सशक्त हों	रु0-2000/-	-
-तदैव-	179(2)	इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध कराये जाने हेतु अपेक्षित सूचना देने से अस्वीकार करना या मिथ्या सूचना देना जिसे वह सत्य न मानता हो	रु0-2000/-	-
-तदैव-	180	जो कोई, चाहे वह मोटर यान का स्वामी हो या उसका भार साधक व्यक्ति हो, ऐसे किसी अन्य व्यक्ति, जो धारा 3 या धारा 4 के उपबन्धों का समाधान नहीं करता है, से यान चलवाता है या उसकी अनुज्ञा देता है	रु0-5000/-	-

http://shasanadesh.up.gov.in

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
-तदैव-	181	धारा 3 या धारा 4 के उपबन्धों का उल्लघंन कर यान चलाने पर।	रु0-5000/-	-
-तदैव-	182(1)	ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा यान चलाये जाने पर जो इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस धारित करने या उसे प्राप्त करने के लिए निरर्ह हो	रु0-10000/-	-
-तदैव-	182(2)	ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा मंजिली गाड़ी के परिचालक के रुप में कार्य करना, जो इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस धारित करने या उसे प्राप्त करने के लिए निरर्ह हो	रु0-10000/-	-
(क) अपर परिवहन आयुक्त से अनिम्न एवं प्रमुख सचिव, सचिव एवं विशेष सचिव परिवहन विभाग **(ख) उप परिवहन आयुक्त से अनिम्न एवं प्रमुख सचिव, सचिव व विशेष सचिव परिवहन विभाग**	182क(1)	(क) जो कोई, या तो मोटर यानों का विनिर्माणकर्ता, आयातकर्ता या व्यवहारी हो, उक्त अधिनियम के अध्याय-सात और तद्धीन बनायी गयी नियमावली तथा विनियमावली के उपबन्धों का उल्लंघन कर किसी यान का विक्रय करना, परिदान करना, परिवर्तन करना या विक्रय, परिदान अथवा परिवर्तन करने के लिए प्रस्ताव करना (i) **विनिर्माणकर्ता** (ii) **आयातकर्ता** **(ख) व्यवहारी**	रु0-100000/- प्रति वाहन रु0-100000/- प्रति वाहन	-
उप परिवहन आयुक्त से अनिम्न एवं प्रमुख सचिव, सचिव व विशेष सचिव परिवहन विभाग	182क(3)	जो कोई मोटर यान के ऐसे किसी संघटक, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नाजुक सुरक्षा संघटक के रुप में अधिसूचित किया गया हो और जो अधिनियम के अध्याय-सात या तद्धीन बनायी गयी नियमावली एवं विनियमावली के उपबन्धों के अनुरुप न हो, विक्रय करता है या विक्रय करने का प्रस्ताव करता है या उसके विक्रय की अनुज्ञा प्रदान करता है	रु0-100000/- प्रति संघटक	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
(एक) परिवहन विभाग के पदाधिकारी, यात्रीकर अधिकारी/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/ संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन	182क(4)	जो कोई मोटर यान का स्वामी होते हुए किसी मोटर यान में ऐसी रीति से परिवर्तन करता है जो इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली और विनियमावली के अधीन अनुज्ञात न हो	रु0-5000/- प्रति परिवर्तन	-
अपर परिवहन आयुक्त से अनिम्न एवं प्रमुख सचिव, सचिव एवं विशेष सचिव परिवहन विभाग	182ख	(I) धारा-62क(1) का उल्लंघन ऐसे किसी मोटर यान का रजिस्ट्रीकरण किये जाने पर जिससे यानों की चैड़ाई ऊँचाई लम्बाई और प्रलम्ब एवं वहन किये गये भार के उपबंधों से संबंधित धारा 110 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन होता हो!	रु0-5000/-	रु0-10000/-
-तदैव-	182ख	(II) धारा- 62क(2) का उल्लंघन किसी विहित प्राधिकरण या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र द्वारा उपयुक्तता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के उपबंधों से संबंधित धारा 118 के अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन करने पर।	रु0-5000/-	रु0-10000/-
(1) परिवहन विभाग के पदधारी, यात्रीकर अधिकारी/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन। **(2) पुलिस विभाग के पदधारी** **(एक) नागरिक पुलिस /यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी**	183(1)	अधिनियम की धारा 112 में निर्दिष्ट गति सीमाओं का उल्लंघन करके कोई मोटर यान चलाने अथवा ऐसे व्यक्ति, जो उसके द्वारा नियोजित हो या उसके नियंत्रणाधीन हो, के द्वारा यान चलवाने पर।	(i) हल्के मोटर यान की दशा में रु0-2000/ (ii) मध्यम/भारी यात्री/माल यान की दशा में रु0-4000/-	***अशमनीय***

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
(दो) यातायात पुलिस निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी (तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के भीतर निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक (चार) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट				
-तदैव-	केन्द्रीय मोटर यान नियमावली के नियम 21 के साथ पठित धारा 184(ग)	यान चलाते समय हाथ से पकडे जाने वाले संचार उपकरणों (हैण्ड हेल्ड डिवाइस) का उपयोग करना।	रु0-1000/-	रु0-10000/-
-तदैव-	186	यह ज्ञान होते हुये कि वह किसी ऐसे रोग या निःषक्तता से ग्रस्त है जिसके परिणामस्वरुप सार्वजनिक स्थान में उसके द्वारा यान चलाने से साधारण जनता के लिये खतरा संभावित है सार्वजनिक स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा मोटर यान चलाने पर	रु0-1000/-	रु0-2000/-
-तदैव-	189	यह ज्ञान होते हुये कि वह किसी ऐसे रोग या निःषक्तता से ग्रस्त है जिसके परिणामस्वरुप सार्वजनिक स्थान में उसके द्वारा यान चलाने से साधारण जनता के लिये खतरा संभावित है सार्वजनिक स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा मोटर यान चलाने पर	रु0-5000/-	रु0-10000/-
-तदैव-	190(2)	किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान में ऐसा मोटर यान चलाने या चलवाने पर जो 1- सड़क सुरक्षा के संबंध में विहित मानकों का उल्लंघन करता हो यथा रेफ्लेक्टर न लगा होना, मानक के अनुसार रेट्रो रेफ्लेक्टिव टेप न लगा होना, वाणिज्यिक यानों में मानकों के अनुसार स्पीड लिमिट डिवाइस न लगा होना; 2- वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में विहित मानकों का उल्लघंन कारक हो; 3- ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में	रु0-10000/-	रु0-10000/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
		विहित मानकों का उल्लघंन कारक हो।		
(1) परिवहन विभाग के अधिकारी, यात्रीकर अधिकारी/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन **(2) पुलिस विभाग के अधिकारी** **(एक) नागरिक पुलिस / यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी** **(दो) यातायात पुलिस निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी** **(तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के अन्तर्गत निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक**	मोटर यान अधिनियम की धारा 39 एवं धारा 56 के साथ पठित धारा 192 केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 51 के साथ पठित धारा 192	(i) रजिस्ट्रीकरण के बिना या निलम्बित या रद्दकृत रजिस्ट्रीकरण के साथ मोटर यान संचालित किये जाने पर (ii) वैध उपयुक्तता प्रमाण-पत्र के बिना यान संचालित किये जाने पर। (iii) यान में रजिस्ट्रीकरण चिन्ह को विहित रीति से प्रदर्शित न करने पर। (iv) अन्य मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण संख्या को अपने यान पर प्रदर्शित करने पर।	रु0-5000/- रु0-5000/- रु0-5000/- रु0-5000/-	रु0-10000/- रु0-10000/- रु0-10000/- रु0 10000/-
-तदैव-	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 66 के साथ पठित धारा-192(क)	जो कोई परमिट के बिना कोई मोटर यान चलाता है या ऐसे मार्ग से सम्बंधित, जिसपर या ऐसे क्षेत्र से सम्बंधित, जिसमें या ऐसे प्रयोजन से सम्बंधित, जिसके लिये यान चलाया जा सकता है, परमिट के किसी शर्त का उल्लंघन करके कोई यान चलवाता है या चलाये जाने की अनुज्ञा प्रदान करता है	रु0-10000/-	रु0-10000/-
परिवहन विभाग के अधिकारी यात्रीकर अधिकारी/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/ संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन।	194(1)	अनुज्ञेय भार से अधिक भार वाले यान चलाये जाने की दशा में :- (क) अधिनियम की धारा 113 और 115 के उपबन्धों का उल्लघन करके कोई मोटर यान चलाये जाने पर तथा (ख) यदि किसी मोटर यान में अधिक भार हो तो प्रतिटन अधिक भार होने पर।	रु0-20000/- *और प्रति टन अधिक भार के लिए* रु0-2000/- *अतिरिक्त*	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
-तदैव-	194(1क)	जो कोई मोटर यान चलाता है या कोई मोटर यान चलवाता है या चलवाने की अनुज्ञा प्रदान करता है, जब ऐसा मोटर यान इस प्रकार से भारित किया जाय कि भार या उसका आंशिक भाग या बॉडी के पार्श्व भाग या अग्र भाग की तरफ या अनुज्ञेय सीमा से अधिक की ऊँचाई के पृष्ठ भाग की तरफ बाहर निकला होने पर (1) यदि भार कृषि उत्पाद हो (2) कोई अन्य भार	रु0-100/- रु0-20000/-	-
-तदैव-	मोटर यान अधिनियम की धारा 114 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-194(2)	धारा 114 के उपबन्धों का उल्लंघन करके यान चलाने या चलवाने या चलाने की अनुज्ञा प्रदान करने पर (इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा तुलवाये जाने का निदेश दिये जाने के पश्चात तुलवाने हेतु यान को रोकने और प्रस्तुत करने से इनकार किये जाने पर या तुलवाये जाने से पूर्व भार या उसके आंशिक भाग को हटाने या हटवाये जाने पर)	रु0-40000/-	-
(1) परिवहन विभाग के पदधारी यात्रीकर अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन। **(2) पुलिस विभाग के पदधारी** **(एक) नागरिक पुलिस /यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी** **(दो) यातायात पुलिस निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी** **(तीन) नागरिक पुलिस के निरीक्षक और उप निरीक्षक जो अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र**	उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 के नियम 135 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-194क	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अथवा अनुज्ञा-पत्र (में अनुमोदित से) भिन्न यात्री परिवहन यान में अधिक यात्रियों को ले जाने पर।	रु0-200/- *प्रति यात्री*	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
की अधिकारिता में हो, (चार) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट				
-तदैव-	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 194ख(1)	यान चलाते समय सुरक्षा बेल्ट का उपयोग करने में विफल रहने या सुरक्षा बेल्ट न पहनने वाले यात्रियों को ले जाये जाने पर	रु0-1000/-	-
-तदैव-	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 194ख(2)	ऐसे बालक, जो 14 वर्ष की आयु न प्राप्त किया हो तथा सुरक्षा बेल्ट या किसी बाल सुरक्षा प्रणाली द्वारा सुरक्षित न किया गया हो, के साथ कोई मोटर यान चलाने पर या कोई मोटर यान चलवाने या उसकी अनुज्ञा दिये जाने पर।	रु0-1000/-	-
-तदैव-	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-194 ग	जो कोई स्वयं के अतिरिक्त एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों को वहन करते हुए मोटर साइकिल चलाता है या मोटर साइकिल चलवाता है या उसकी अनुज्ञा प्रदान करता है।	रु0-1000/-	-
-तदैव-	केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम की धारा 129 एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 121 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 194 घ	हेलमेट नहीं पहनने के उल्लंघन पर	रु0-1000/-	-
-तदैव-	194 ड.	आपात यानों यथा एम्बुलेन्स, अग्निशमन यान इत्यादि को अबाध रुप से गुजरने देने में विफल होने पर	रु0-10000/-	-
-तदैव-	194 च	जो कोई मोटर यान चलाते समय: 1- सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हार्न अनावश्यक रुप से या निरंतर या आवश्यकता से अधिक बजाता है या 2- निषिद्ध क्षेत्र में हार्न बजाता है या 3- ऐसा मोटर यान चलाता है जिसमें ऐसे कटआउट का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा एक्जास्ट गैस साइलेंसर से भिन्न माध्यम से निर्मुक्त किये जाते हैं	रु0-1000/-	रु0-2000/-
-तदैव-	196	गैर बीमाकृत यान चलाना या मोटर यान चलाने के लिए अनुज्ञा	रु0-2000/-	रु0-4000/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
		देना।		
-तदैव-	198	बिना प्राधिकार के यान में अनधिकृत दखल देने या उसमें छेड़छाड़ करने पर।	रु0-1000/-	-

आज्ञा से,

(राजेश कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या -10/2020/752(1)/तीस-4-2020/01(सा0)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 30 जुलाई, 2020 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड(क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
संयुक्त सचिव

संख्या -10/2020/752(2)/तीस-4-2020/01(सा0)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना की हिन्दी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में तथा अंग्रेजी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
संयुक्त सचिव

संख्या -10/2020/752(3)/तीस-4-2020/01(सा0)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन,1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यू नल,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह/न्याय/वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु किसी अभिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
8. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
9. विधायी अनुभाग-1
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।